करौली (राज०)

4
27-7-22

वकील प्रार्थीगण उप०। पत्रावली पर बहस सुनी गई। जिसका निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खारिज पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद तकमील होकर नम्बर से दाखिल हो।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

न्यायालय–उपखण्ड अधिकारी, करौली जिला–करौली (राज.)

प्रकरण संख्या– 22/2020 पीठासीन अधिकारी–अमित कुमार वर्मा(आर.ए.स.)

उनवान

1. धूपसिंह पुत्र जसराज आयु 50 साल जाति गुर्जर ग्राम जुग्गीनपुरा तह0 जिला करौली

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रामनिवास पुत्र रघुवर आयु 55 साल जाति गुर्जर निवासी जुग्गीनपुरा तह0 जिला करौली
2. हररूप पुत्र रघुवर आयु 50 साल जाति गुंर्जर निवासी जुग्गीन का पुरा तह0 करौली

(अप्रार्थी)

उपस्थित–

प्रार्थी अधिवक्ता–श्री इमरान बुखारी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बावत कराने पत्थरगढी

निर्णय दिनांक 27-7-22

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय में दिनांक 26–8–2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वॉके ग्राम जुग्गीनपुरा तहसील जिला करौली की आराजी भूमि खसरा नम्बर 72 ,77 रकवा 1 वीघा 10 विस्वा प्रार्थी की खातेदारी तथा कब्जेकाश्त की भूमि है । प्रार्थी की खातेदारी की भूमि से सटेमा अप्रार्थीगण की भूमि लगी हुयी है । अप्रार्थीगण झगडालू प्रवत्ति के ताकतवर व्यक्ति है । यह लोग ताकत के वल पर प्रार्थी की भूमि में दखलंदाजी करते है तथा नुकसान पहुचाते है मना करने पर आमादा फसाना हो जाते है । सायल की गैरसायलान ने करीब 40–50 फुट जमीन को दवा रखा है । मौके पर सायल ने अपनी जमीन वताया था लेकिन गैरसायल नही मान रहे है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 2–9–2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस ज़ारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। अप्रार्थीगण ने अपने जबाव में अवगत कराया है कि अप्रार्थीयान वादग्रस्त भूमि पर सेंकडो बर्षो से कब्जाकाश्त बतोर खातेदार है सायल व सायल के बुजुर्गो द्वारा कभी इस बावत बातचीत नही हुयी हैं ना ही सायल ने गैरसायलान से कभी अपनी जमीन होना मौके पर बताया है भूमि पर गैरसायलान का कब्जा 100 वर्ष पुराना है [illegible] द्वारा हटाने का कोई विधिक अधिकार नही है सायल ने कोई दखल दावा अप्रार्थीगण के [illegible] नही किया है सायल पत्थरगढी की आड में अप्रार्थीगण से कब्जा छीनना चाहता है और इसी उद्देश्य से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है । प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थीगण [illegible] एवं वहस अधिवक्ता पर गौर किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व [illegible] पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादाग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि है जिसकी दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

4–6–2020 को तहसीलदार करौली द्वारा सीमांज्ञान किया है जिसकी रिपोर्ट की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है । इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार है।अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्राप्त होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम वॉके ग्राम जुग्गीनपुरा तहसील जिला करौली की आराजी भूमि खसरा नम्बर 72 ,77 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक गुडला को 1500 रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पडौसीयान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि सूचित करेंगे।मौके पर खडी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावें।पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है।आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार करौली को भिजवाई जावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 27–7–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)
करौली जिला करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.09.21 17:36:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner